

भाग - II

(संबन्धी उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

परियोजना स्कीम का स्थान		प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या	
7-	जनपद-टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फुलेथ-क्यारा मोटर मार्ग के किमी0 5.00 (भगद्वारीखाल) से भुत्सी तक मोटर मार्ग (कुल लम्बाई-7.550 किमी0 (मसूरी वन प्रभाग-0.775 किमी0 एवं नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत-6.775किमी0) के नव निर्माण हेतु कुल 3.33 है0 (मसूरी वन प्रभाग-0.3825है0 एवं नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत-2.9475है0) वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड-2, नई टिहरी को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।		
(i)	राज्य /संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य	
(ii)	जिला	टिहरी गढ़वाल	
(iii)	वन प्रभाग	मसूरी वन प्रभाग, मसूरी	
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (है0 में)	3.33 हेक्टर (मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत-0.3825है0)	
(v)	वन की कानूनी स्थिति	0.0270 है0 आरक्षित वन भूमि सिल्ला कक्ष सं0-6 0.3555 है0 सिविल सोयम भूमि मौजा सिमियारी	
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.3825 है0 0.5	
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल.-2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल.-4 मीटर भी संलग्न किये जाएं)	प्रस्तावित पी0एम0जी0एस0वाई0 मोटर मार्ग के मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत अवास्थित कार्यस्थल /समरेखण में विभिन्न प्रजाति एवं व्यास वर्ग के कुल 10 (आरक्षित वन भूमि में-2, सिविल सोयम भूमि में-8) वृक्ष प्रभावित/ होने निहित है। उक्त सभी प्रभावित/वाधित होने वाले वृक्षों की भूमिवार /प्रजातिवार/व्यासवार गणना एवं मूल्यांकन सूची प्रस्ताव प्रस्ताव के प्रपत्र-19, 19.1, 19.4 एवं 20 पर चस्पा है।	
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त	नहीं। इस बावत प्रस्तावक /पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक-55 से 56 पर वरि0 भू-वैज्ञानिक की आख्या चस्पा की गयी है।	
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत प्रस्तावित /चयनित स्थल आरक्षित वन भूमि सिल्ला कक्ष सं0-6 एवं मौजा सिमियारी की सिविल सोयम भूमि) की सीमा अन्तर्गत स्थित है।	
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबोधित की जाएं)	नहीं। इस बावत वन विभाग द्वारा प्रस्ताव के प्रपत्र - 25 पर प्रमाण पत्र चस्पा किया गया है।	
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	-----नहीं-----	
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं। इस बावत प्रस्तावक / पी0एम0जी0एस0वाई0, राजस्व विभाग द्वारा प्रस्ताव के प्रपत्र-37 पर प्रमाण पत्र चस्पा किया गया है।	
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मद-वार संस्तुति क्षेत्र क्या है।	इस बावत प्रस्तावक / पी0एम0जी0एस0वाई0, राजस्व विभाग, द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्ताव के प्रपत्र -14 पर चस्पा है।	
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	- नहीं-	
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रत्यावर्तित होने वाली वांछित 3.33 है0 वन भूमि के बदले दुगने 6.66 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु नरेन्द्रनगर वन प्रभाग द्वारा सकलाना रेंज के अन्तर्गत ग्राम भुत्सी सिविल सोयम भूमि का चयन किया गया है। सम्बन्धित वन प्रभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन एवं मानचित्र प्रस्ताव के प्रपत्र -42 एवं 44 पर चस्पा किया गया है।	

(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	-
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/ अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	-
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	-
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	-
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	-
11.	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 :गपए गपपद्धत 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत अवस्थित वांछित वन भूमि की अधीनस्थ वन अधिकारियों, फ्रील्ड स्टाफ, राजस्व विभाग एवं प्रस्तावक / पीओएमओएसवाई0 द्वारा सम्पन्न स्थलीय संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षरित करके प्रपत्र-6 पर चरपा है। वर्णित क्षेत्र का तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निरीक्षण दि0 29-11-2016 को स्थलीय निरीक्षण किया गया है। जो प्रस्ताव के प्रपत्र-7 पर चरपा है। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा विषयांकित मोटर मार्ग के प्रस्तावित संरक्षण का स्थलीय निरीक्षण दि0 07-03-2019 को किया गया। जिसकी प्रति संलग्न है। जिला- टिहरी गढ़वाल
12.	विभाग/जिला प्रोफाइल	4421.00 वर्ग कि0मी0
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	4058.90 वर्ग कि0मी0
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या 97 है। वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र 985.8533 है0 है। इसमें आरक्षित वन क्षेत्र 521.6025 है0 है।
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क)दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि (ख) वनेतर भूमि पर:-	(क) 236.9612 हैक्टेयर/651.6392 हैक्टेयर (ख) रिक्त
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वन भूमि पर (ख) वनेतर भूमि पर	(क) 1- 213.75 है0 /631.38 हैक्टेयर में प्रभाग के अंतर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है। (ख) रिक्त
13.	को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रश्नगत क्षेत्र की तकनीकी एवं स्थानीय विधि एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावक विभाग के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्ताव में विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।

दिनांक: 08-03-2019 ।

स्थान:- मसूरी,

हस्ताक्षर

नाम:- (कहकशा नसीम)

प्रसक्त अधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी